



सत्यमेव जयते

संख्या— — / जी०एस०(शिक्षा) / A4-2-1(P-II) / 2021

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र सं०-2184 एवं पत्र सं०-2185, दिनांक 22.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके समुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :—

क्रमांक	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4	5
1	सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, सहस्रधारा रोड, नियर-आई०टी० पार्क, देहरादून	बी०फार्मा०	60	2021-22
		एम०फार्मा०:- 1. फार्मास्यूटिकल कैमेस्ट्री 2. फार्माकोलॉजी	03 15	

(1) संस्थान की Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) नियामक संस्थान के मानकानुसार संस्थान में उक्त दोनों पाठ्यक्रम संचालन हेतु भवन का क्षेत्रफल न्यून है, कक्षा कक्षों की संख्या अपूर्ण है तथा प्रयोगशाला व प्राभूति राशि के मानक भी अपूर्ण है। छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण हेतु स्वयं का चिकित्सालय अथवा संस्थान को किसी जिला स्तर के अस्पताल से विलिनिकल प्रशिक्षण हेतु कोई अभिलेख संलग्न नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में उक्त सभी मानक पूर्ण कराते हुए राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाये।

(3) उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय का पूर्ण रूप से अनुपालन विश्वविद्यालय व संस्थान द्वारा किया जायेगा, उसके अनुपालन की सूचना से इस सचिवालय को भी अवगत कराया जाये।

(4) संस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्नगत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्थान में एल०एल०बी०, एल०एल०एम०, बी०ए०एल०बी०, बी०बी०ए०एल०बी० पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को पृथक से संचालित करने हेतु अलग से सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध होने के अभिलेख/आख्या राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जाये।

क्रमांक:.....2 /

(5) विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं की गुणवत्ता और व्यवहारिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये हैं, इसकी सूचना व संस्थानों द्वारा छात्रों की प्रायोगिक शिक्षा और इंटर्नशिप/विजिट के लिए किन समूहों, विभागों एवं कंपनियों के साथ समझौता (Tie-up or MoU) किया गया है, तत्सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जाएगी साथ ही अग्रेतर सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(6) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा सोसाइटी/ट्रस्ट पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(8) अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(9) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था, विश्वविद्यालय व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मात्र कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा. रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या-२७०३ (१) / जी०ए०(शिक्षा) / A4-2-1(P-II) / 2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फ्राईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० भवौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।